परिशिष्ट [24/3/2021]

प्रश्न सं. [क. 6405]

मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय

::आदेश::

भोपाल,दिनांक 28.09.2020

क्रमांक एफ–6/2/2020/54–1, राज्य शासन एतद् द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन गुर्जर समाज के विशेष संदर्भ में प्रभावी तरीके से करने हेतु सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु म.प्र. देव नारायण बोर्ड का गठन करता है।

1. यह बोर्ड देव नारायण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा।
2. बोर्ड का कार्यकाल, सामान्यतः दो वर्ष का होगा जिसे राज्य शासन आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकेगा।
3. इस बोर्ड का क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4. बोर्ड के उद्देश्य/कार्य – बोर्ड राज्य शासन को निम्न विषयों पर सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकेगा–
   1. गुर्जर समाज के विशेष संदर्भ में शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन।
   2. गुर्जर समाज के शिक्षारत छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं कमियों का चिन्हांकन एवं सुधारात्मक अनुशंसाएं।
   3. विभिन्न आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा रोजगार–स्वरोजगार हेतु आवश्यक प्रशिक्षण/आर्थिक सहायता।
   4. राज्य के गुर्जर समाज के युवाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर के लिए अध्ययन एवं योजना हेतु सुझाव।
   5. रोज़गार और स्वरोजगार के अवसरों हेतु कौशल संवर्धन कार्यक्रम की पहचान करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लागू कराना।
   6. अन्य कोई सुझाव/अनुशंसा जो विशेष रूप से गुर्जर समाज के हित में हो।
5. बोर्ड का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा। अध्यक्ष, राज्य में गुर्जर समाज के विकास के हित में कार्यरत कोई व्यक्ति या राज्य शासन जिसे उचित समझे, हो सकेगा।
6. बोर्ड मे राज्य शासन द्वारा नामांकित दो सदस्य होंगे जो कि राज्य में गुर्जर समाज के विकास/कल्याण के क्षेत्र में सेवारत कोई व्यक्ति हो सकेगा तथा जिसे राज्य शासन द्वारा सदस्य नामांकित/मनोनीत किया जा सकेगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

7. बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का कार्यकाल सामान्य तौर पर नियुक्ति से दो वर्ष होगा।

8. राज्य शासन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य को पद से हटा सकेगा यदि वह –

9.1 दिवालिया हो गया हो।

9.2 किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

9.3 विकृतचित्त का हो जाता है।

9.4 कार्य करने से इन्कार करता है या असमर्थ हो जाता है या त्यागपत्र देता है।

9.5 राज्य शासन की राय में उसका पद पर बना रहना लोकहित में नहीं हो।

9. बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाएं वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 11–15/2010/ नियम/चार, दिनांक 10.08.2011 के अनुसार प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

10. राज्य शासन द्वारा बोर्ड के कार्यकाल के दौरान कार्यों के संचालन एवं संपादन हेतु सचिव के रूप में सहायक संचालक स्तर के अधिकारी तथा कार्यालय सहायक के रूप में दो कर्मचारी एवं दो भृत्य की सेवाएं किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकेंगी या प्रशासकीय विभाग से ही उपलब्ध करायी जाएंगी। यह नियुक्तियां बोर्ड के समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें मूल विभाग अनुरूप होंगी।

11. बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में रहेगा। बोर्ड ऐसे समय, अवधि एवं स्थान पर बैठकें आयोजित करेगा जो अध्यक्ष उचित समझे, तथापि यह बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जावेगी।

12. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बोर्ड के लिए यथा अपेक्षित प्रशासनिक अमला एवं बजट उपलब्ध करायेगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

13. बोर्ड अपने कार्य/उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक अभिलेख/जानकारी, विभाग/मंडल/कार्यालयों से बुला सकेगा।

14. बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों का नामांकन एवं सचिव की नियुक्ति के आदेश पृथक से जारी किए जाऐंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.के.अग्रवाल)
सचिव
म.प्र.शासन
पिछड़ा वर्ग, तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ-6/2/2020/54-1 भोपाल,दिनांक 28.09.2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्रीगण, मध्यप्रदेश।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल।
5. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, म0प्र0।
7. समस्त संभागायुक्त म.प्र.।
8. समस्त कलेक्टर म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
म.प्र.शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल